रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1975/कार्तिक 24, 1897

No. 466] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1975/KARTIKA 24, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 15th November 1975

S.O. 654(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lockout in the services in the State of Kerala, connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply (including the works connected with the Idikki Hydro-electric Project in the State of Kerala) would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strike or lockout in the said services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, any strike or lockout, in connection with any industrial dispute in the said services for a period of six months with effect from the 15th November, 1975.

[No. S.42025/24/75/DI/A]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

का० आ० 654 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

और यतः केरल राज्य में जनता के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदाय से अथवा ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए (जिसके अन्तर्गत वे कार्य आते हैं जो केरल राज्य में इडिक्की जल-विद्युत परियोजना से सम्बन्धित हैं) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचयन या प्रेषण से सम्बन्धित किन्हीं सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, अतः, उक्त सेवाओं में हड़ताल या तालाबन्दी रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त सेवाओं में किसी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित किसी हड़ताल या तालाबन्दी को 15 नवम्बर, 1975 से छः मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० एस०-42025/24/75/डी०-1/ए]

डी० बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975